न्यायालय माननीय सदस्य महोदय राजस्व मण्डल ग्वालियर मध्यप्रदेश ।

प्रकरण क्रमांक /2015 निगरानी निग/2982/II/15

अजयप्रतापसिंह पुत्र राव देशराजसिंह जाति यादव आयु-25 वर्ष, धन्धा खेती निवासी तायडे कॉलोनी अशोकनगर जिला अशोकनगर म.प्र.। ----निगरानीकर्ता/आवे.

बनाम

1- हरिशंकर पुत्र काशीराम जाति कोरी आयु-35 वर्ष, निवासी ग्राम अथाईखेडा परगना मुंगावली जिला अशोकनगर म.प्र.।

2- मध्यप्रदेश शासन द्वारा पटवारी ग्राम/एस.एल.आर. महोदय अशोकनगर जिला अशोकनगर म.प्र.।

----प्रतिनिगरानीकर्तागण/अनावेदकगण

// निगरानी/आवेदन पत्र आधीन धारा-50 म.प्र.भू.रा.सं. 1959 //
न्यायालय नायब तहसीलदार महोदय मुंगावली जिला अशोकनगर द्वारा प्रकरण क्रमांक 227अ68/2011-12 मे पारित आदेश दिनांक 26.8.15 के विरूद्ध

माननीय महोदय,

सेवा में निगरानीकर्ता अजयप्रतापसिंह की ओर से सादर निगरानी/आवेदन पत्र निम्न प्रकार प्रस्तत कर निवेदन है कि -

संक्षिप्त विवरण :- ::

यहकि अधिनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार महोदय मुंगावली के न्यायालय में अनाविदक हरिशंकर की ओर से एक असत्य आवेदन पत्र आवेदक/निगरानीकर्ता व अन्य व्यक्तियों के विरूद्ध प्रस्तुत किया गया जिस में निगरानीकर्ता का अतिक्रमण ग्राम अथाईखेडा की भूमि सर्वे नं. 696 पर बतलाया गया जिसके आधार पर प्रकरण अधिनस्थ न्यायालय में पंजीवद्ध किया गया तत्पश्चात अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पटवारी ग्राम मौका की रिपोर्ट चाही गयी तो पटवारी ग्राम द्वारा नक्शा जीर्ण शीर्ण होने के कारण रिपोर्ट स्पष्ट न आना बतलाया गया तत पश्चात तहसीलदार महोदय द्वारा एस.एल.आर महोदय को मौका जांच हेतु पत्र जारी किया गया जिस पर से एस.एल.आर. महोदय द्वारा मौके की स्थिति के विपरीत नक्शा जीर्ण शीर्ण होने के बवजूद भी स्पष्ट रिपोर्ट नहीं दी गई जिस पर निगरानी कर्ता द्वारा आपत्ति प्रस्तुत की गई जिसे अधिनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 26.8.2015 को आपत्ति स्वीकार न करते हुये [illegible] करने का आदेश पारित किया है उक्त आदेश विरूद्ध यह निगरानी [illegible]

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक निगरानी 2982/एक/2015 जिला–अशोकनगर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही एवं आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर
17-11-16	यह निगरानी आवेदक द्वारा नायब तहसीलदार मूंगावली, जिला अशोकनगर के प्रकरण क्रमांक 227/अ–68/2011–12 में पारित आदेश दिनांक 26.08.2015 के विरूद्ध म0प्र0 भू–राजस्व संहिता सन् 1959 की धारा 50 (जिसे आगे केवल संहिता कहा जायेगा) के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है। 2– प्रकरण का सारांश यह है कि अनावेदक हरीशंकर की ओर से एक आवेदन पत्र इस आधार पर प्रस्तुत किया कि आवेदक द्वारा ग्राम अथाईखेड़ा में स्थित भूमि सर्वे क्र.696 पर अतिक्रमण किया है, जिसके आधार पर प्रकरण पंजीबद्ध कर पटवारी ग्राम से मौका की रिपोर्ट चाही गयी, तब पटवारी द्वारा बताया गया कि नक्शा जीर्ण–क्षीण होने के कारण रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की जा सकती। तत्पश्चात एस.एल.आर. द्वारा मौके की जॉच हेतु पत्र जारी किया गया, तब मौके की स्थिति के विपरीत तथा नक्शा जीर्ण–क्षीण होने के बावजूद स्पष्ट रिपोर्ट नहीं दी गयी। जिस पर आवेदक द्वारा आपत्ति प्रस्तुत की गयी और दिनांक 26.08.2015 को आपत्ति अमान्य किये जाने का आदेश पारित किया। इसी आदेश के विरूद्ध इस न्यायालय में निगरानी प्रस्तुत की गयी है। 3– निगरानी मैमो में उठाये गये बिन्दुओं पर उभयपक्ष के अभिभाषको के तर्क सुने तथा उनकी ओर से प्रस्तुत दस्तावेजो का अवलोकन किया गया। 4– आवेदक अभिभाषक ने तर्को में बताया कि प्रायवेट व्यक्ति द्वारा आवेदक के विरूद्ध भूमि पर अतिक्रमण करने की शिकायत की गयी है	

जबकि प्रायवेट व्यक्ति द्वारा की गयी शिकायत के आधार पर अतिक्रमण की कार्यवाही प्रारम्भ नहीं की जा सकती। भूमि सर्वे क्रमांक 696 का सीमांकन नहीं किया जा सकता, क्योंकि नक्शा जीर्ण–क्षीण की स्थिति में है। ऐसी स्थिति में मौके की स्थिति के सम्बन्ध में रिपोर्ट नहीं दी जा सकती। यह कथन ग्राम पटवारी द्वारा अपने प्रतिवेदन में बताया गया है। भूमि सर्वे नम्बर 696 के वर्तमान नक्शा में बटा नम्बर नहीं है, जबकि आवेदक ने सर्वे नम्बर 696 रकवा 1.142 हैक्टेयर में से रकवा 0.209 हैक्टेयर भूमि क्रय कर कब्जा प्राप्त किया है, जिस पर आवेदक का कब्जा है। ऐसी स्थिति में शासकीय भूमि होने का प्रश्न ही नहीं है। आवेदक द्वारा विक्रेता राजेन्द्र कुमार शर्मा से भूमि क्रय कर कब्जा प्राप्त किया है। एस.एल.आर. रिपोर्ट के अनुसार सर्वे नम्बर 696/1 में प्राथमिक शाला भवन, किचिंन शेड संख्या 2, ऑगनवाडी भवन, कन्याशाला भवन, पंचायत भवन, एक कुंआ, हायर सेकेण्डरी स्कूल भवन, सर्व शिक्षा अभियान के तहत मॉडल कलस्टर भवन, अतिरिक्त कक्ष, हाई स्कूल भवन, किचिंन शेड, माध्यमिक शाला भवन, डॉक्टर एवं कम्पाण्डर के क्वार्टर संख्या 2, आयुर्वेदिक चिकित्सा भवन, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र भवन, पुराना टूटा हुआ माल गोदाम व हाट बाजार बतलाया है। किन्तु इसमें यह नहीं बताया गया कितने रकवें पर कौन भवन बना है, स्पष्ट उल्लेख नहीं है। इस प्रकार एस.एल.आर. की रिपोर्ट स्पष्ट नहीं है और ऐसी रिपोर्ट के आधार पर जो कार्यवाही एवं आदेश पारित किया गया है, अपास्त किया जावे। अंत में निगरानी स्वीकार किये जाने का निवेदन किया गया है।

5– अनावेदक क्रमांक 1 चूंकि इस प्रकरण में शिकायतकर्त्ता हैं, ऐसी स्थिति में उसकी ओर से प्रस्तुत शिकायत के आधार पर जो कार्यवाही की गयी है, उस पर विचार किया जा रहा है। शिकायतकर्त्ता को पुनरीक्षण अथवा अपील प्रस्तुत करने का अधिकार नहीं है। ऐसी स्थिति में अनावेदक क्रमांक 2 म0प्र0 शासन की ओर से उपस्थित अभिभाषक

को सुना गया। अभिभाषक द्वारा बताया गया कि उपरोक्त प्रकरण में जो कार्यवाही अधीनस्थ न्यायालय द्वारा की जा रही है, वह विधिवत एवं सही है। ऐसी स्थिति में वर्तमान प्रकरण में कोई कार्यवाही किया जाना न्यायहित में आवश्यक नहीं है। अतः आवेदक की ओर से प्रस्तुत निगरानी निरस्त किये जाने का निवेदन किया गया।

6— उभयपक्षों के अभिभाषको के तर्को के परिपेक्ष्य में मेरे द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजो का अवलोकन किया गया। प्रस्तुत दस्तावेजो के अवलोकन से स्पष्ट है कि वर्तमान प्रकरण में शिकायतकर्त्ता के आवेदन पत्र पर नायब तहसीलदार मूगांवली द्वारा कार्यवाही प्रारंभ की गयी है, जबकि शिकायतकर्त्ता के आवेदन पत्र पर कार्यवाही करने का अधिकार अधीनस्थ न्यायालय को नहीं है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय की कार्यवाही अधिकारितारहित है। जिसे किसी भी स्थिति में स्थिर नहीं रखा जा सकता। जहॉ तक भूमि सर्वे क्र.696 का प्रश्न है, तो इसका वर्तमान नक्शा में बटा नम्बर नहीं है। आवेदक द्वारा भूमि सर्वे क्र. 696/2 रकवा 1.142 है0 में से रकवा 0.209 है0 पूर्व भूमिस्वामी राजेन्द्र कुमार शर्मा से पंजीकृत विक्रयपत्र से क्रय कर कब्जा प्राप्त किया है। उक्त भूमि राजेन्द्र कुमार के स्वत्व स्वामित्व एवं अधिपत्य की भूमि थी तथा उसे भूमि विक्रय करने का पूर्ण अधिकार था। ऐसी स्थिति में आवेदक द्वारा शासकीय भूमि पर अतिक्रमण किये जाने का प्रश्न ही नहीं है। जहॉ तक एस.एल.आर. की रिपोर्ट के आधार पर जो तथ्य बताये गये है, वह वास्तविक मौके के अनुसार नहीं है क्योंकि रिपोर्ट में कितने रकवें पर कौन भवन बना है, स्पष्ट नहीं है। इसके अलावा ग्राम पटवारी द्वारा अपनी रिपोर्ट में यह भी उल्लेख किया है कि वर्तमान नक्शा जीर्ण—क्षीण स्थिति में है, अतः सीमांकन नहीं किया जा सकता। पंजीकृत विक्रयपत्र की वैधतता के संबंध में जॉच एवं कार्यवाही करने का अधिकार राजस्व न्यायालयों को नहीं है। उपरोक्त स्थिति में जो कार्यवाही एवं आदेश नायब तहसीलदार, मूंगावली द्वारा वर्तमान प्रकरण

में पारित किया है, वह स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है।

7— उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी स्वीकार की जाकर नायब तहसीलदार मूंगावली, जिला अशोकनगर द्वारा प्रकरण क्रमांक 227/अ—68/2011—12 में की जा रही समस्त कार्यवाही एवं पारित आदेश दिनांक 26.08.2015 अधिकारितारहित होने से इसी स्तर पर निरस्त की जाती है।

सदस्य